

7-10-22 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित।
प्रतिवादी सं. 1 का सम्मन तामिल शुदा प्राप्त।
प्रतिवादी सं. 1 की ओर से वकील-श्री
देवेन्दु सिंह दैल ने वकालतनामा पेश
किया। सायं 5-05 P.M. बज चुके थे।
बार-बार आवाज दिलवाई गयी। बार-
बार आवाज दिलवाने के बावजूद
वादी गठ व वकील वादी में से कोई उप-
स्थित नहीं। अतः अदम हाजरी। अदम
पैरवी में वादी का वाद खारिज किया
जाता है।

पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर
से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनाथ (अजमेर)

